तार–जलनिगम
E-mail : mdupjn@yahoo.co.in
Fax : 0522-2622389

दूरभाष (प्र. नि.): 2626497
एक्स. 2620172, 2620272

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: 2156 / एसी.लेखा (सा०) / चि० प्रति पूर्ति / 309 दिनांक: 28-6-2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जल निगम के आदेश संख्या 55/चिकित्साा प्रतिपूर्ति दिनॉक 09–02–1995 द्वारा चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा इस हेतु अग्रिम की स्वीकृति के सबन्ध में पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू किये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। जल निगम के ज्ञाप संख्या 138/ए.सी. लेखा (सा०)/चि० प्रति०/309/354/12 दिनॉक 18/01/2012 द्वारा पूर्व निर्गत ज्ञापों के क्रम में शासन के आदेश द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011" को उत्तर प्रदेश जल निगम के समस्त कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु प्रक्रिया एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के अधिकार की सीमा तक लागू किया गया। अग्रेतर उत्तर प्रदेश जल निगम के ज्ञाप संख्या 2683/ए.सी. लेखा (सा०)/चि० प्रति०/309/354/14 दिनॉक 22/08/2014 द्वारा "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014" के कतिपय प्राविधानों को ज्ञाप दिनॉक 18/01/2012 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया।

उत्तर प्रदेश जल निगम निदेशक मंडल की 160वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ज्ञाप संख्या 1114/ए.सी. लेखा (सा०)/चि० प्रति०/309/520/13 दिनॉक 06/06/2013 द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में निजी चिकित्सालयों में इलाज एवं कतिपय विशिष्ट बीमारियों को छोड़कर अन्य पर हुये व्ययों की प्रतिपूर्ति पर प्रतिबन्ध लगाये गये। अग्रेतर ज्ञाप संख्या 2729/ए.सी. लेखा (सा०)/चि० प्रति०/309/520/13 दिनॉक 31/12/2013 एवं 2145/ए.सी. लेखा (सा०)/चि० प्रति०/309/520/15 दिनॉक 18/09/2015 द्वारा प्रतिबन्धों को शिथिल करते हुए कुछ और गम्भीर व विशिष्ट बीमारियों को प्रतिपूर्ति हेतु सम्मिलित किया गया।

उत्तर प्रदेश जल निगम निदेशक मंडल की 164वीं बैठक (मद संख्या 164.34) में निदेशक मंडल की 160वीं बैठक में लगाये गये प्रतिबन्धों को समाप्त किया गया है तथा मद संख्या 164.32 द्वारा स्वीकर्ता प्राधिकारी का पुर्ननिर्धारण किया गया है। जल निगम द्वारा चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा इस हेतु अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त कार्यालय ज्ञापों/ आदेशों को अतिक्रमित कर उनमें दी गई व्यवस्थाओं को समेकित कर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम की अनुमति से जल निगम के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिको हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति की निम्न व्यवस्था लागू की जाती है –

1. परिभाषाएँ

1.1 "प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक" का तात्पर्य किसी सरकारी चिकित्सालय के ऐसे चिकित्सा अधिकारियों या विशेषज्ञों से या संदर्भकर्ता संस्थाओं क़े ऐसे प्रवक्ताओं, उपाचार्या, आचार्यों या अन्य विशेषज्ञों से है जो किसी लाभार्थी को चिकित्सा परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिनियुक्त हों।

1.2 "लाभार्थी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्मिक और उनके परिवार, सेवानिवृत्त कार्मिक और उनके परिवार और मृत कार्मिकों के मामले मे उनके परिवार के ऐसे सदस्यों से है जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों।

1.3 "परिषद" का तात्पर्य यथाविहित कृत्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा जिला मण्डल और राज्य स्तर पर गठित चिकित्सा परिषद से है।

1.4 "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक (चिकित्सा परिचर्या), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।